मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल

कमांक 694 / PS / SE / 08 भोपाल, दिनांक 22/5 2008

जिला शिक्षा अधिकारियों की समीक्षा बैठक दिनांक 21.05.08 का कार्यवाही विवरण

1. **नि:शुल्क सायकिल वितरण :–** सभी जिला शिक्षा अधिकारी सुनिश्चित कराये की वर्तमान प्रांरभिक सत्र की जो सायकिलें जिलों को प्राप्त है अथवा लघु उद्योग निगम से प्राप्त होना है उसे लघु उद्योग निगम से समन्वय करते हुए प्राप्त कराये व संबंधित छात्राओं तक सायकिलें पहुचाने की व्यवस्था करें एवं इसके अभिलेख आदि भी पूर्ण किये जाये। संभागीय अधिकारियों से अपेक्षा यह है कि वे अपने संभाग में यदि कोई अंतर जिला समन्वय जो भी आवश्यक हो तो उसें भी करा लिया जाए।

11 अप्रैल की बैठक अनुरूप सायकिल प्रतियोगिता जून माह में समस्त जिलों में अनिवार्यत: कार्यवाही करें।

2. **संविदा शाला शिक्षक वर्ग–1,2 एवं 3 के रिक्त पदों की गणना :–** संविदा शाला शिक्षक वर्ग–1,2 एवं 3 के रिक्त पदों की गणना की जानकारी भेजे जाने वाले सभी जिला कलेक्टरों को तत्काल निर्देश भेजे जाए।

3. **रिक्त पदों के संबंध में :–** रिक्त पदों के संबंध में जिन पदों की पूर्ति पदोन्नति के माध्यम से की जाना है, की कार्यवाही **15 जून 2008** तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करा ली जाए।

4. विभागीय नियमों के नये सिरे से पुर्नरीक्षण के संबंध में कार्यवाही जिस शाखा द्वारा की जा रही है उसका प्रथम प्रारूप **15 दिनों में** प्रस्तुत कर दिया जाए।

5. लेखा परीक्षा के 489 रिक्त पदों के संबंध में ठोस कार्यवाही आयुक्त लेखा एवं कोष से प्राप्त की जाए।

6. **स्थानांतरण बाबत् :–** सामान्य प्रशासन विभाग की नीति के अनुरूप लेखापालों तथा लिपिकीय एवं अन्य संवर्गों के शासन निर्देशों के अनुरूप जिला स्तर से कार्यवाही होना है वह निरंतरता पर की जाना चाहिए। इस हेतु अलग से राज्य शासन के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं हैं।

7. **प्रयोगशाला सहायक/सहायक संचालक का सर्वेक्षणः–**प्रयोगशाला सहायक की आवश्यकता तथा सहायक शिक्षक के विज्ञान के पदों की उपलब्धता को देखते हुए ज़िला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी आवश्यक कार्यवाही करें।

8. न्यायालयीन प्रकरणों पर बजट आवंटन :– सभी जिलों को आवश्यक आवंटन उपलब्ध करा दिये गये है। जिन जिलों को सात दिवस में आवंटन उपलब्ध नहीं हुए है, अगले **72 घंटों में सुनिश्चित** करायें एवं रिपोर्ट दें कि क्या यह आंवटन आज दिनांक तक भी प्राप्त नहीं हुए है तो संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा से व्यक्तिगत संपर्क करें।

9. व्यय समीक्षा प्रत्येक माह राज्य शासन स्तर पर वार्षिक प्रबंध का बजट प्रावधानित किया जाता है। सभी जिला शिक्षा अधिकारी से अपेक्षा है कि वे **अपने स्तर से भी माह में एक बार बजट की प्रगति** की समीक्षा करें और विशेष रूप से देखें किः–

(अ) कौन–कौन से महत्वपूर्ण मदों में गति धीमी चल रही है।

(ब) किन क्षेत्रों में किस योजना के क्रियान्वयन में कठिनाई है?

प्रत्येक माह शासन को जानकारी भेजना सुनिश्चित करावें।

10. **परिवेश सुधार कार्यक्रम जनभागीदारीः–**परिवेश सुधार कार्यक्रम अंतर्गत हमारा विद्यालय 2008 कार्यक्रम के प्रपत्रानुसार प्रत्येक जिले के सभी विद्यालयों तक निर्देशों की छायाप्रति पुनः दी जाए।

सभी जिलों से **प्रथम पालन प्रतिवेदन इस माह** के अंत तक प्राप्त कर लिए जाए। विद्यालयों के निजी तथा अन्य शर्तों के संबंध में निर्देशों के अनुरूप जो परिवेश सुधार के कार्यक्रम किए जाने है वह **अनिवार्यतः** सभी विद्यालयों में **प्रतिमाह किए जाकर अगले 15 दिवसों में पूर्ण करा लिए जाए।** सभी जिला शिक्षा अधिकारी प्रत्येक माह इस अभियान का **व्यक्तिगत**

सुपरविजन में संपादित करा लें ताकि आगामी सत्र प्रारंभ होने से पूर्व विद्यालयों में उत्तम परिवेश विकसित हो जाए।

संभाग स्तर पर संयुक्त संचालक इस अभियान को गति प्रदान करें।

11. **अपलेखनः**—अपलेखन के जिलों में कार्यालय प्रमुख को रूपये 25,000/— (रूपये पच्चीस हजार मात्र) तक के अधिकार प्रदत्त है। इस बाबत सामान्य प्रशासन विभाग के जारी प्रपत्र कोषालय अधिकारी या जिला कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त कर लिए जाए और उसी अनुरूप अपलेखन की कार्यवाही भी करा ली जाए।

जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उनके अधीन समस्त **प्राचार्यों/विद्यालय प्रभारियों को कड़े निर्देश दें कि आगामी सत्र के पूर्व** तैयारियों में रख—रखाव, स्वच्छता तथा अपलेखन के जो निर्देश दिए है, के संबंध में यदि उनके द्वारा तत्काल कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जाती है तो संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी जो निम्न क्रम में रहेगीः—

(1) जिन विद्यालयों द्वारा कोई भी कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जाती है उन प्राचार्यों के वेतन रोक दिए जाएंगे।

(2) संबंधित को कारण बताओ सूचना नोटिस जारी किए जाकर जो उनके अनुशासनात्मक कार्यवाही के समकक्ष अधिकारी है, उनको अधिकार दिए जाएंगे।

जिला स्तर पर इन निर्देशों की **प्रति कार्यालय अधिकारी** तथा जिला—कलेक्टर को उपलब्ध कराई जाए। केवल स्थानीय स्तर पर **जिला—कलेक्टर** ही प्रत्येक की अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सक्षम है।

12. **पायलेट प्रोजेक्टः**—आगामी समीक्षा बैठक 26.05.08 को राज्य शिक्षा केन्द्र में नियत है। इस संबंध में चयनित विकासखंडों एवं प्राचार्य उत्कृष्ट विद्यालयों को सूचना भेजी जाए।

13. **हाईस्कूलों/हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में कंप्यूटर सुविधा विकसित करने बाबतः**—राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि जनपद आधार पर अधिकतम तीन वर्षों में समस्त हायर सेकेण्ड्री एवं हाईस्कूलों में न्यूनतम 25 वी.सी. कंप्यूटर लैब स्थापित की जाए। इस संबंध में एम.पी.ईबी. एवं एम.पी.ई.सी.डी.सी. के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में **आपसे जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जानकारी चाही गई थी।** लगभग 10 दिनों से यह जानकारी अप्राप्त रही। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी आगामी **दो दिवस में जानकारी उपलब्ध कराएं।** कंप्यूटर लैब स्थापित करने के लिए मुख्यतः लगभग **600 वर्ग फीट का** एक

हॉल तथा **विद्युत कनेक्शन** की आवश्यकता होगी। जिन हाईस्कूलों एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध नहीं है उनके लिए आगामी एक सप्ताह में एम.पी.ईबी. के अधिकारियों को विद्युत कनेक्शन का एस्टीमेट देने हेतु अनुमोदित किया जाए तथा उसके 15 दिवस के अंदर एम.पी.ई.बी. से उनका प्राक्कलन प्राप्त कर राशि की मांग आयुक्त लोक शिक्षण को प्रेषित की जाए। यह एक महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसके लिए लोड में कार्यवाही की जाए।

14. जानकारी बनाते समय **आदिम जाति कल्याण विभाग** के विद्यालयों की **जानकारी भी आपको संकलित** कराकर भेजी जाए।

15. **शिक्षण–प्रशिक्षण संस्थानों में रिक्त पदों की पूर्तिः**–शिक्षण–प्रशिक्षण संस्थानों में बड़ी संख्या में पद रिक्त है जिनकी पूर्ति शीघ्र की जाना आवश्यक है। राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा आगामी तीन दिवस में **ई–मेल के** द्वारा संस्थावार एवं विषयवार रिक्त पदों की जानकारी समस्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं शिक्षण–प्रशिक्षण संस्थानों को प्रस्तुत कर दी जाएगी। सभी जिला शिक्षा अधिकारी इस जानकारी के बारे में व्यापक प्रचार–प्रसार कर अर्हताधारी इच्छुक शिक्षकों की वरीयता क्रम में आवेदन आगामी **15 दिवस** में प्राप्त कर राज्य शिक्षा केन्द्र को प्रस्तुत करें ताकि यथोचित समय पर रिक्त पदों की पूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

16. **प्राचार्यों को परमानेंट एडवांस देने का अधिकारः**–विभागीय तौर पर यह निर्णय लिया गया था कि प्राचार्यों को परमानेंट एडवांस के अधिकार दिए जाएंगे। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारियों ने यह कठिनाई बताई है कि शहरी अधिकारियों द्वारा एवं ऐसे प्रशासकीय आदेश के वित्त विभाग की सहमति के अभाव में मान्य नहीं किया जा रहा है।

संयुक्त संचालक (वित्त) इस दिशा में शीघ्र पहल करेंगे तथा आगामी एक माह के अंदर वित्त विभाग की सहमति से आवश्यक आदेश जारी कराएंगे।

17. **प्राथमिक शालाओं के उन्नयन हेतु आधारभूत जानकारी का संकलनः**–माध्यमिक शालाओं को हाईस्कूल में उन्नयन हेतु एक प्रपत्र निर्धारित कर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से जानकारी चाही गई थी किन्तु मंदसौर, भिण्ड, उज्जैन, जबलपुर, रीवा एवं सतना जिलों से पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होना बताया गया है। कुछ जिलों ने यह बताया कि उनके द्वारा जानकारी भेजी जा चुकी है आगामी तीन दिवस 24.05.08 वे पुनः संकलित जानकारी

ई–मेल के माध्यम से भिजवाना सुनिश्चित करें। यदि इतने निर्देशों के बावजूद भी जानकारी अपेक्षित रहती है तो इस संबंध में सहायक संचालक श्री पी.आर. तिवारी द्वारा कार्यवाही करें।

(मदन मोहन उपाध्याय)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

प्रतिलिपि :+–

1. श्री ओ. पी. रावत, प्रमुख सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण ।
2. श्री मनोज झालानी, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग ।
3. श्री बी. आर. नायडू, आयुक्त लोक शिक्षण म.प्र. भोपाल ।
4. श्री जयदीप गोविंद आयुक्त, आदिमजाति कल्याण ।
5. संचालक, लोक शिक्षण म.प्र. भोपाल ।
6. समस्त संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग ।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल ।

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।